

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1409  
उत्तर दिनांक - 31/07/2024 को दिया गया

विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत

1409. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या यह सच है कि मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- (ख) देश में संयंत्र-वार वर्तमान स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार क्षमता में वृद्धि करेगी और आगामी पांच वर्षों में इसे किस प्रकार कम से कम 15 प्रतिशत तक ले जाएगी;
- (ग) आन्ध्र प्रदेश से परमाणु विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति है; और
- (घ) क्या देश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए किन्हीं नए स्थलों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) वर्ष 2022-23 में देश के कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय विद्युत का हिस्सा लगभग 2.8% था।
- (ख) वर्तमान स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता का संयंत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। अगले पांच वर्षों (2029-30 तक) में निर्माण/कमीशनन अधीन परियोजनाओं - आरएपीपी 7 व 8 (2 x 700 मेगावाट), केकेएनपीपी 3 व 4 (2 x 1000 मेगावाट),

केकेएनपीपी 5 व 6 (2 x 1000 मेगावाट) और पीएफबीआर (500 मेगावाट) परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्तमान क्षमता 8180 मेगावाट को 14080 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है। आगामी पांच वर्षों में कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा उस समय बिजली उत्पादन के अन्य स्रोतों से योगदान पर निर्भर करेगा।

(ग) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में कोई नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रचालित नहीं है।

(घ) हां। सरकार ने निम्नलिखित नए स्थलों पर रिएक्टर स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है :

स्थल	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	के सहयोग से
जैतापुर	महाराष्ट्र	6 X 1650	फ्रांस
कोव्वडा	आंध्र प्रदेश	6 X 1208	संयुक्त राज्य अमेरिका
छाया मिठी विरडी	गुजरात	6 X 1000*	
हरिपुर	पश्चिम बंगाल	6 X 1000*	रूसी परिसंघ
भिमपुर	मध्य प्रदेश	4 X 700	स्वदेशी पीएचडब्ल्यू

\* निम्न क्षमता

\*\*\*\*\*

राज्य	स्थान	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
महाराष्ट्र	तारापुर	टीएपीएस-1 <sup>&amp;</sup>	160
		टीएपीएस -2 <sup>&amp;</sup>	160
		टीएपीएस -3	540
		टीएपीएस -4	540
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीएस-1 <sup>@</sup>	100
		आरएपीएस -2	200
		आरएपीएस -3 <sup>&amp;</sup>	220
		आरएपीएस -4	220
		आरएपीएस -5	220
		आरएपीएस -6	220
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	एमएपीएस -1 <sup>&amp;</sup>	220
		एमएपीएस -2	220
	कुडनकुलम	केकेएनपीपी -1	1000
		केकेएनपीपी -2	1000
उत्तर प्रदेश	नरौरा	एनएपीएस -1	220
		एनएपीएस -2	220
गुजरात	काकरापार	केएपीएस -1	220
		केएपीएस -2	220
		केएपीएस -3	700
		केएपीएस -4	700
कर्नाटक	कैगा	केजीएस-1	220
		केजीएस -2	220
		केजीएस -3	220
		केजीएस -4	220

<sup>@</sup> आरएपीएस-1 तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विस्तारित शटडाउन के अधीन है।

<sup>&</sup> टीएपीएस-1 व 2, एमएपीएस-1 और आरएपीएस-3 वर्तमान में परियोजना मोड के अधीन है।

\*\*\*\*\*